



राजस्थान सरकार

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग  
(पंचायती राज)

क्रमांक एफ 701( )पंचायती विभाग / प्रशासन.2 / क.अ. / स्थाना.पद / पार्ट / 15/2376  
जयपुर, दिनांक : ३१०६/१६

आदेश

विभागीय आदेश क्रमांक प.701(614)प्र.2 / क.अ. / जांच / मु.नं.242/05 /  
केशोरायपाटन / 06 / 2035 दिनांक 19.5.16 द्वारा श्री रामहंस मीणा, तत्कालीन कनिष्ठ  
अभियन्ता, पंचायत समिति, केशोरायपाटन (बून्दी) को निलम्बन से बहाल किये जाने पर  
श्री रामहंस मीणा, कनिष्ठ अभियन्ता को तत्काल प्रभाव से पंचायत समिति, भीम जिला  
राजसमन्द में कनिष्ठ अभियन्ता के रिक्त पद पर पदस्थापित किया जाता है।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

आज्ञा से,

( मातादीन शर्मा )

अतिरिक्त आयुक्त एवं  
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि :-

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री, ग्रा. वि.एवं पंचायती राज विभाग।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रा. वि.एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग।
4. जिला कलौक्टर, बून्दी / राजसमन्द।
5. अति./मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, बून्दी / राजसमन्द।
6. विकास अधिकारी, पंचायत समिति, केशोरायपाटन (बून्दी)।
7. ए.सी.पी. मुख्यालय को आदेश विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
8. श्री रामहंस मीणा, कनिष्ठ अभियन्ता, जिला परिषद, बून्दी को पालनार्थ।
9. निजी / आरक्षी पत्रावली।

अतिरिक्त आयुक्त एवं  
संयुक्त शासन सचिव